



जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर
रोस्टर रजिस्टर

As on 07.03.2019

1. पदनाम उप कुलसचिव
2. भर्ती की रीति- सीधी भर्ती के माध्यम से। (10 पदों की संवर्ग संख्या में सीधी भर्ती का उदाहरण)
3. सेवा संवर्ग में पदों की संख्या :- 01 (एक)
4. आरक्षण का प्रावधित प्रतिशत: अ.जा. (SC) 16 प्रतिशत, अ.ज.जा. (ST) 12 प्रतिशत, पि.व. (BC) 21 प्रतिशत, अति पि.व. (MBC) 5 प्रतिशत, आ.क.व. (EWS) 10 प्रतिशत।
वित्त विभाग की आईडी संख्या 215/वित्त व्यय-1 दिनांक 01.04.2005 द्वारा 01 पद
नॉन प्लान बीएफसी 2007-08 में 01 पद समाप्त
प्लॉन बीएफसी 2007-08 दि. 10.01.2007 पत्र दि. 03.12.2007 द्वारा 01 पद पुनःसृजित
कुल- 01 पद

पूर्व वर्षों से अग्रेषित आरक्षण (बैकलॉग)		भर्ती का वर्ष	की गई भर्ती का विवरण			क्या अजा/ अजजा/ पि.व./ अति पि.व./ आ.क.व. है? यदि नहीं, तो नहीं लिखें	अग्रेषित आरक्षण		नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण (जिस प्रवर्ग द्वारा उपयोग में लिया गया)	रिमांक
SC	ST		रोस्टर बिन्दु संख्या	क्या अनारक्षित है अथवा अजा/ अजजा/ पि.व./ अति पि.व./ आ.क. व. के लिए आरक्षित है।	नियुक्त व्यक्ति का नाम तथा नियुक्ति/पद मुक्ति तिथि		SC	ST			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-		1		रिक्त 03.12.2007		-	-			
-	-		2				-	-			

(Order dt. 4-6-2008) अतः ~~अतः~~ पद एकल पद संवर्ग हैं, अर्थात् इन प्रत्येक में एक-एक ही पद धारक रहेंगे। अतः इन एकल पद संवर्गों में आरक्षण प्रवृत्त नहीं है, क्योंकि यदि एक पद को आरक्षित किया जायेगा तो यह शतप्रतिशत आरक्षण हो जायेगा, जो विधि सम्मत नहीं है। प्रत्येक एकल पद संवर्ग में भर्ती के लिए भारतीय नागरिकता का किसी भी प्रवर्ग का पत्र अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है।